संख्या - 011/वी.जी.एल/014
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 11.02.2011

परिपत्र सं0 01/02/11

विषय: निविदा प्रणाली में पारदर्शिता ।

ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर खरीदे जाने वाले उपकरण/सयन्त्र जटिल प्रकृति के होते हैं तथा इसे खरीदने वाले संगठन को पारदर्शिता प्रापण के अपेक्षित उद्देश्य को पूरा करने के लिए बाजार में उपलब्ध विभिन्न तकनीकी उपायों के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है जिससे कि व्यय धन से लाभ सुनिश्चित हो सके साथ ही प्राद्योगिकी को अद्यतन तथा क्षमता बढ़ाने को सुनिश्चित किया जा सके ।

2. आयोग यह सलाह देता है कि ऐसे प्रापण मामलों में जहां तकनीकी विवरणों को एक बार से अधिक बार दोहराने की आवश्यकता है वहां अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण करना उचित होगा तथा पारदर्शी तरीके से अनुभवी निर्माताओं/आपूर्तिकारों के साथ तकनीकी चर्चा/प्रस्तुतिकरण के आधार पर विनिर्देशनों को अंतिम रूप देने की कार्रवाई करें । ऐसे मामलों में, दो चरणों की निविदा प्रक्रिया उपयोगी हो सकती है तथा इसे वरीयता दें । निविदा के प्रथम चरण के दौरान, प्रस्तावित प्रापण के क्षेत्र में मुख्य अनुभवी तथा सुशिक्षित निर्माताओं/आपूर्तिकारों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण के बाद स्वीकार्य तकनीकी उपायों को मूल्यांकित किया जा सकता है । अभिरूचि की अभिव्यक्ति को आमंत्रण करते समय स्पष्ट उद्देश्यों, अवरोधों आदि को प्रकाशित किया जा सकता है । अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति पर, चुने गए निर्माता/आपूर्तिकार, जो प्रथम दृष्टि में तकनीकी रूप से तथा वित्तीय रूप से उपकरणों की आपूर्ति करने अथवा प्रस्तावित कार्य को पूरा करने में सक्षम हैं, के साथ तकनीकी चर्चाओं/प्रस्तुतिकरणों को आयोजित कर सकते हैं । इन तकनीकी चर्चाओं के चरण के दौरान प्रापण एजेंसी उन अन्य पणधारियों को भी चर्चा में जोड़ सकते हैं जो विभिन्न तकनीकी पहलुओं तथा मूल्यांकन मापदंड पर निर्णय करने में सहायक हो सकते हैं । इन की गई चर्चाओं/प्रस्तुतिकरणों के आधार पर, एक अथवा अधिक स्वीकार्य तकनीकी समाधान पर प्रत्येक स्वीकार्य तकनीकी समाधान के लिए विस्तृत तकनीकी विवरण देते हुए गुणवत्ता मापदंडों, वारंटी आवश्यकता, सुपुर्दगी आदि रखने पर ऐसे तरीके में जो पारदर्शी प्रापण के वस्तुनिष्ठों के साथ एकसमान है निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही विनिर्देशनों को सामान्य प्रकृति का बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि प्रत्याशित बोलीदाताओं को समान अवसर उपलब्ध करा सकें । चर्चाओं/प्रस्तुतिकरणों तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया का उचित रिकार्ड रखना चाहिए ।

3. तकनीकी विवरण तथा मूल्यांकन मापदंड को एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद द्वितीय चरण की निविदा प्रत्येक मामले की आवश्यकता के अनुसार, एकल बोली अथवा दो बोली प्रणाली के अंतर्गत सामान्य निविदा प्रणाली तकनीकी वाणिज्य बोली बोलने के लिए हो सकती है ।

इस चरण में अंतिम चयन उद्धृत वित्तीय बोली के ऊपर निर्भर करेगा तथा मूल्यांकन मैट्रिक्स पर निर्णय लिया जाएगा ।

4. आयोग यह चाहता है कि संगठन विशिष्ट दिर्शानिर्देश प्रतिपादित करे तथा ऐसे प्रापणों के लिए कार्रवाई करने से पहले सभी संबंधितों को इसे जारी करे।

ह0/-
(अनिल सिंघल)
मुख्य तकनीकी परीक्षक

सेवा में

मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिव
संगठनों के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अध्यक्ष
सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी